ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 147-149**
I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

भारत में मध्यकालीन युग में महिलाओं की स्थिति

डॉ0 नरेश कुमार
सहायक प्रोफेसर– इतिहास विभाग, पी.एन.जी. राजकीय पी.जी. कॉलेज, रामनगर, नैनीताल (उत्तराखण्ड) भारत

Received-26.02.2025, Revised-06.03.2025 Accepted-12.03.2025 **E-mail : nareshhema76@gmail.com**

सारांशः भारत पर मध्ययुगीन काल में कई राजवंशों द्वारा अपनी अनूठी सामाजिक–सांस्कृतिक प्रथाओं के अनुसार आचरण करते हुए शासन किया गया था। इस अवधि के दौरान महिलाओं की स्थिति कई दशकों से बहस और चर्चा का विषय रही है। यह लेख मध्यकालीन भारत में 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक महिलाओं की स्थिति का गहन विश्लेषण प्रदान करता है। अध्ययन विभिन्न सामाजिक मानदंडों और रीति–रिवाजों, परिवार, विवाह और सामाजिक जीवन में महिलाओं की भूमिका की समीक्षा करता है। अध्ययन में इस युग के दौरान महिलाओं के संघर्ष, चुनौतियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला गया है। यह शोध प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों जैसे ऐतिहासिक लेखों, शास्त्रों और पुरातात्विक साक्ष्यों की व्यापक समीक्षा पर आधारित है। अध्ययन का उद्देश्य मध्ययुगीन भारत में महिलाओं की स्थिति की व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करना है।

कुंजीभूत शब्द– मध्ययुगीन काल, अनूठी सामाजिक–सांस्कृतिक प्रथा, रीति–रिवाज, परिवार, विवाह, सामाजिक जीवन, पुरातात्विक

परिचय– सदियों से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति और स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। भारत में मध्यकाल में सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों में बदलाव देखा गया, जिसका महिलाओं के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस अवधि के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर कई राजवंशों का शासन था, जिनमें राजपूत, मुगल और मराठा शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक अपनी अनूठी सामाजिक–सांस्कृतिक प्रथाओं के साथ था।

इस अध्ययन का उद्देश्य मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति का गहन विश्लेषण करना है। अध्ययन का उद्देश्य विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक मानदंडों, रीति–रिवाजों और प्रथाओं का पता लगाना है, जिन्होंने इस अवधि के दौरान महिलाओं के जीवन को आकार दिया। अध्ययन का उद्देश्य इस युग के दौरान महिलाओं के योगदान, संघर्ष और चुनौतियों की जांच करना भी है।

अनुसंधान क्रियाविधि– प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों की व्यापक समीक्षा पर आधारित है। प्राथमिक स्रोतों में ऐतिहासिक वृत्तांत, शास्त्र और पुरातात्विक साक्ष्य शामिल हैं, जबकि द्वितीयक स्रोतों में विद्वानों के लेख, पुस्तकें और शोध पत्र शामिल हैं। अध्ययन एक गुणात्मक शोध पद्धति को नियोजित करता है, जिसमें स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या करना शामिल है।

परिचर्चा– मध्ययुगीन भारत में महिलाओं की स्थिति को विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक मानदंडों और प्रथाओं द्वारा आकार दिया गया था। महिलाओं की स्थिति, जाति, धर्म और क्षेत्र जैसे कारकों से प्रभावित थी। महिलाओं को पुरुषों के अधीनस्थ स्थिति में रखा गया था, और सामाजिक मानदंडों और रीति–रिवाजों ने समाज में उनके व्यवहार और भूमिकाओं को निर्धारित किया।

परिवार– मध्ययुगीन भारत में, परिवार को समाज की मूलभूत इकाई माना जाता था, और महिलाओं ने इसकी स्थिरता और निरंतरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने पति की आज्ञा मानें और अपने घरेलू कर्तव्यों को पूरा करें। एक महिला के जीवन में बेटे का जन्म एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती थी क्योंकि इससे परिवार की निरंतरता सुनिश्चित होती थी। इस अवधि के दौरान दहेज प्रथा प्रचलित थी, और परिवारों से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी बेटियों को उनकी शादी के समय पर्याप्त दहेज प्रदान करें।

विवाह– भारत में मध्ययुगीन काल के दौरान, विवाह को महिलाओं के लिए एक आवश्यक संस्था माना जाता था, और यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। इस अवधि के दौरान कम उम्र में शादी की प्रथा प्रचलित थी, और लड़कियों की अक्सर युवावस्था तक पहुंचने से पहले ही शादी कर दी जाती थी। विवाह की आयु जाति, क्षेत्र और धर्म के अनुसार अलग–अलग थी।

हिंदू समाज में विवाह को एक संस्कार माना जाता था और इसे दो परिवारों के बीच आजीवन प्रतिबद्धता के रूप में देखा जाता था। व्यवस्था मैरिज की प्रथा प्रचलित थी, और जीवनसाथी के चुनाव के बारे में निर्णय माता–पिता या परिवार के बुजुर्गों द्वारा किया जाता था। दुल्हन के परिवार से दहेज देने की उम्मीद की जाती थी, जिसे एक महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ माना जाता था।

भारत के कुछ भागों में, विशेषकर राजस्थान में, बाल विवाह की प्रथा व्यापक थी। छह या सात साल की उम्र की लड़कियों की शादी बहुत बड़े पुरुषों से कर दी जाती थी। यह प्रथा राजपूतों और अन्य उच्च–जाति के हिंदुओं में प्रचलित थी और इसे सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था।

उच्च जाति के हिंदुओं में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी, और पुरुषों को कई पत्नियाँ रखने की अनुमति थी। हालाँकि, यह प्रथा व्यापक नहीं थी और समाज के ऊपरी क्षेत्रों तक ही सीमित थी।

इस्लामी समाज में भी विवाह को एक पवित्र संस्था माना जाता था और व्यवस्था विवाह की प्रथा प्रचलित थी। हालाँकि, हिंदू और इस्लामी विवाहों के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे। इस्लामिक समाज में, दुल्हन के परिवार को दहेज देने की उम्मीद नहीं थी, और दूल्हे को दुल्हन को उपहार या महर देना आवश्यक था।

बौद्ध धर्म में, विवाह को एक धर्मनिरपेक्ष संस्था माना जाता था, और भागीदारों के बीच आपसी प्रेम और सम्मान पर जोर दिया जाता था। अरेंज मैरिज की प्रथा प्रचलित नहीं थी, और महिलाओं को अपना साथी चुनने की अनुमति थी।

विवाह की संस्था ने भारत में मध्यकाल में महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कम उम्र में शादी और बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी और महिलाओं से अपने पति के प्रति आज्ञाकारी होने की अपेक्षा की जाती थी। अरेंज मैरिज की प्रथा प्रचलित थी, और जीवनसाथी के चुनाव के बारे में निर्णय माता–पिता या परिवार के बुजुर्गों द्वारा किया जाता था। चुनौतियों के बावजूद, इस अवधि के दौरान महिलाओं ने समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और उनके संघर्ष और उपलब्धियां पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाओं को प्रेरित करती रहीं।

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

शिक्षाः भारत में मध्ययुगीन काल के दौरान, महिलाओं के लिए शिक्षा एक व्यापक प्रथा नहीं थी, और यह कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित थी। महिलाओं से घरेलू कर्तव्यों का पालन करने और परिवार की देखभाल करने की अपेक्षा की जाती थी, और शिक्षा को उनके लिए प्राथमिकता नहीं माना जाता था। हालाँकि, कुछ अपवाद थे, और शाही परिवारों और उच्च जाति के परिवारों की महिलाओं की शिक्षा तक पहुँच थी।

हिन्दू समाज में महिलाओं को पढ़ना–लिखना उनके परिवार की महिलाओं द्वारा ही सिखाया जाता था। उन्हें घरेलू प्रबंधन की कला में भी प्रशिक्षित किया गया, जिसमें खाना बनाना, सफाई करना और वित्त प्रबंधन करना शामिल था। ऊंची जाति के परिवारों की महिलाओं को वेदों, पुराणों और उपनिषदों सहित शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी।

इस्लामी समाज में महिलाओं की शिक्षा पढ़ने–लिखने तक ही सीमित थी। धार्मिक शिक्षा पर जोर था और महिलाओं को कुरान और हदीस की शिक्षा दी जाती थी। हालाँकि, कुछ अपवाद थे, शाही परिवारों की कुछ महिलाओं की उच्च शिक्षा तक पहुँच थी।

बौद्ध समाज में, महिलाओं की शिक्षा तक अधिक पहुँच थी, और उन्हें पुरुषों के साथ अध्ययन करने की अनुमति थी। महिलाओं को शास्त्र और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी, और कुछ महिलाएँ विद्वान और शिक्षिका भी बन जाती थीं।

शिक्षा के सीमित अवसरों के बावजूद कुछ महिलाओं ने समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उदाहरण के लिए, दिल्ली के सुल्तान की बेटी रज़िया सुल्ताना, अरबी, फ़ारसी और तुर्की में शिक्षित हुई और दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक बनी। 16वीं शताब्दी की कवि और संत मीराबाई भी पढ़ी–लिखी थीं और भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए जानी जाती थीं।

भारत में मध्ययुगीन काल के दौरान महिलाओं के लिए शिक्षा सीमित थी, और यह केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही सुलभ थी। हालाँकि, शाही परिवारों और उच्च जाति के परिवारों की कुछ महिलाओं की शिक्षा तक पहुँच थी, और उन्होंने समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चुनौतियों के बावजूद, इस अवधि के दौरान महिलाओं ने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और महिलाओं की भावी पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

धर्मः भारत में मध्ययुगीन काल के दौरान धर्म ने महिलाओं के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवधि के दौरान प्रमुख धर्म हिंदू धर्म, इस्लाम और बौद्ध धर्म थे, और प्रत्येक धर्म में महिलाओं और समाज में उनकी भूमिका पर पृथक–पृथक विचार थे।

हिन्दू समाज में महिलाओं से शास्त्रों में वर्णित परंपराओं और रीति–रिवाजों का पालन करने की अपेक्षा की जाती थी। महिलाओं को देवी का अवतार माना जाता था, और वे पूजनीय और सम्मानित थीं। हालाँकि, उनसे यह भी अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने पति के प्रति आज्ञाकारी हों और उनकी इच्छाओं का पालन करें। उच्च–जाति के परिवारों की महिलाओं से उपवास और अनुष्ठान करने सहित धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने की अपेक्षा की जाती थी, और उन्हें मंदिर की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति थी।

इस्लामी समाज में महिलाओं से भी धार्मिक रीति–रिवाजों और परंपराओं का पालन करने की अपेक्षा की जाती थी। हालाँकि, उनकी भूमिकाएँ अधिक प्रतिबंधित थीं, और उनसे विनम्र होने और अपने शरीर को ढकने की अपेक्षा की गई थी। महिलाओं को पुरुषों के साथ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की अनुमति नहीं थी, और उनसे घर पर अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने की अपेक्षा की जाती थी। हालाँकि, कुछ अपवाद थे, शाही परिवारों की कुछ महिलाओं की शिक्षा तक पहुँच थी और वे धार्मिक गतिविधियों में शामिल थीं।

बौद्ध समाज में महिलाओं को धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति थी और उन्हें पुरुषों के बराबर माना जाता था। महिलाओं को नन बनने की अनुमति थी और उन्हें शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन करने की अनुमति थी। करुणा और ज्ञान पर जोर था, और महिलाओं को इन गुणों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

विभिन्न धार्मिक परंपराओं के बावजूद, महिलाओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें शिक्षा तक सीमित पहुंच, कम उम्र में शादी और उनकी गतिशीलता पर प्रतिबंध शामिल हैं। हालाँकि, सभी धर्मों की महिलाओं ने समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया और सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी। उदाहरण के लिए, एक मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान ने अपने समय के पुरुष–प्रधान मानदंडों को चुनौती दी और दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक बनीं। मीराबाई, एक हिंदू कवि और संत, ने जाति व्यवस्था को चुनौती दी और अपना जीवन भगवान कृष्ण की पूजा के लिए समर्पित कर दिया।

संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि भारत में मध्यकाल में धर्म ने महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने समुदायों के धार्मिक रीति–रिवाजों और परंपराओं का पालन करें, लेकिन उन्होंने समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया और सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी। चुनौतियों के बावजूद, इस अवधि के दौरान महिलाओं ने महिलाओं की भावी पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया और आज भी महिलाओं को प्रेरित करती हैं।

चुनौतियां और संघर्ष– भारत में मध्ययुगीन काल में महिलाओं को सामाजिक मानदंडों, सांस्कृतिक परंपराओं और लिंग आधारित भेदभाव के कारण कई चुनौतियों और संघर्षों का सामना करना पड़ा। इस अवधि के दौरान महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली कुछ प्रमुख चुनौतियाँ और संघर्ष इस प्रकार हैं:

सीमित शिक्षा– महिलाओं की शिक्षा तक सीमित पहुंच थी, और शाही परिवारों और उच्च–जाति के परिवारों में से कुछ चुनिंदा लोगों की ही शिक्षा तक पहुंच थी। महिलाओं से घरेलू कर्तव्यों का पालन करने और परिवार की देखभाल करने की अपेक्षा की जाती थी, और शिक्षा को उनके लिए प्राथमिकता नहीं माना जाता था।

कम उम्र में शादी– महिलाओं की अक्सर कम उम्र में शादी कर दी जाती थी और उनका जीवन अपने पति और ससुराल वालों के इर्द–गिर्द घूमता था। कम उम्र में शादी का मतलब यह भी था कि महिलाओं के पास शिक्षा के सीमित अवसर थे और उनसे परिवार की देखभाल की उम्मीद की जाती थी।

गतिशीलता पर प्रतिबंधः महिलाओं को स्वतंत्र रूप से यात्रा करने या घूमने की अनुमति नहीं थी, खासकर उच्च जाति की महिलाओं के मामले में। उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने घर की चारदीवारी में रहें और उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी।

पितृसत्तात्मक समाज– भारत में मध्ययुगीन काल एक पितृसत्तात्मक समाज था, और महिलाओं के पास निर्णय लेने की शक्ति सीमित थी। महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने पति की आज्ञाकारी हों और उनकी इच्छाओं का पालन करें।

लिंग आधारित भेदभाव– महिलाओं के साथ उनके लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, और उनके अधिकारों को अक्सर कम कर दिया जाता था। निचली जातियों और हाशिए के समुदायों की महिलाओं को और भी अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ा।

आर्थिक स्वावलंबन का अभाव'– महिलाएं अक्सर आर्थिक सहायता के लिए अपने पति और ससुराल वालों पर निर्भर रहती थीं। उन्हें घर से बाहर कमाने और काम करने की आजादी नहीं थी, जिससे उनकी आर्थिक आजादी सीमित हो गई।

विधवापन– विधवाओं के साथ अवमानना की जाती थी और उनसे तपस्या और आत्म–त्याग का जीवन जीने की अपेक्षा की जाती थी। उन्हें पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अक्सर समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था।

जबरन सती– कुछ मामलों में, विधवाओं को सती होने के लिए मजबूर किया जाता था, एक ऐसी प्रथा जिसमें उनसे अपने पति की चिता पर आत्मदाह करने की अपेक्षा की जाती थी। इस प्रथा को 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों ने गैरकानूनी घोषित कर दिया था।

बाल विवाह– इस काल में बाल विवाह का प्रचलन था, जहाँ कम उम्र की लड़कियों की शादी अधिक उम्र के पुरुषों से कर दी जाती थी। इस प्रथा के परिणामस्वरूप अक्सर जल्दी गर्भधारण हो जाता है, जिससे युवा लड़कियों के स्वास्थ्य को खतरा होता है।

दहेज प्रथा– इस अवधि के दौरान दहेज प्रथा प्रचलित थी, जहां दुल्हन के परिवार से दूल्हे के परिवार को पर्याप्त मात्रा में धन और उपहार देने की उम्मीद की जाती थी। इस प्रथा के परिणामस्वरूप अक्सर महिलाओं और उनके परिवारों का शोषण होता था।

लिंग आधारित हिंसाः महिलाओं को अक्सर शारीरिक और यौन हिंसा का शिकार होना पड़ता था, और उनके अधिकारों की रक्षा नहीं की जाती थी।

जाति के आधार पर भेदभाव– निचली जातियों और हाशिए के समुदायों की महिलाओं को और भी अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ा और उन्हें अक्सर दूसरे दर्जे के नागरिकों के रूप में माना जाता था। राजनीतिक भागीदारी का अभावरू महिलाओं के पास राजनीतिक अधिकार नहीं थे और राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सीमित थी।

कानूनी अधिकारों का अभाव– महिलाओं के पास कानूनी अधिकार नहीं थे और उन्हें कानून के तहत संरक्षित नहीं किया गया था। वे अक्सर अपने पति और ससुराल वालों की इच्छा के अधीन थीं।

संक्षेप में यह कहा जा सकता हैं, कि भारत में मध्ययुगीन काल में महिलाओं को सामाजिक मानदंडों, सांस्कृतिक परंपराओं और लिंग आधारित भेदभाव के कारण कई चुनौतियों और संघर्षों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद, इस अवधि के दौरान महिलाओं ने समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया और सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी। इस अवधि के दौरान महिलाओं के सामने आने वाले संघर्षों और चुनौतियों को पहचानना और महिलाओं के लिए अधिक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज बनाने की दिशा में काम करना महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष– मध्ययुगीन भारत में महिलाओं की स्थिति को विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक मानदंडों और प्रथाओं द्वारा आकार दिया गया था। महिलाओं को पुरुषों के अधीनस्थ स्थिति में रखा गया था और उनसे आज्ञाकारी और विनम्र होने की उम्मीद की जाती थी। सती प्रथा और विधवाओं की स्थिति इस अवधि के दौरान महिलाओं के सामने आने वाली कुछ सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियाँ थीं।

हालाँकि, इस युग के दौरान महिलाओं ने भी समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रजिया सुल्तान, चांद बीबी और रानी लक्ष्मीबाई जैसी महिलाओं ने इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह अध्ययन भारत में मध्ययुगीन काल के दौरान महिलाओं के संघर्ष, चुनौतियों और योगदान पर प्रकाश डालता है और इसका उद्देश्य इस युग के दौरान महिलाओं की स्थिति की व्यापक समझ प्रदान करना है। अध्ययन समकालीन समाज में लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में काम जारी रखने की आवश्यकता पर भी जोर देता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. चक्रवर्ती, यू. (1993). पुनर्लेखन इतिहासः पंडिता रमाबाई का जीवन और समय। महिलाओं के लिए काली।
2. चक्रवर्ती, यू. (1999). लिंग निर्धारण जातिः एक नारीवादी लेंस के माध्यम से। लोकप्रिय प्रकाशन।
3. चक्रवर्ती, यू. (2003). एशिया में सामाजिक परिवर्तन, गरीबी और वैश्वीकरण के लैंगिक आयाम। रूटलेज।
4. चक्रवर्ती, यू. (2006). सबाल्टर्न अध्ययन, नारीवादी दृष्टिकोण और औपनिवेशिक विरासत। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 41(34), 3699–3709।
5. दत्ता, वी. (2005). सतीः एक ऐतिहासिक और तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य। रूटलेज।
6. गंगोली, जी। (2009)। भारतीय नारीवादी अपराधशास्त्र। फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी, 4(1), 69–84।
7. हसन, आर. (1991). पार्टनर्स इन फ्रीडमः वीमेन्स लिबरेशन इन इंडिया। पेंगुइन प्रकाशन।
8. जायसवाल, एस. (1995). सतीरू ऐतिहासिक और परिघटना संबंधी निबंध। मोतीलाल बनारसीदास।
9. कुमार, आर. (1989). मध्ययुगीन भारत में महिलाएंः ऐतिहासिक दृष्टिकोण। एस चंद।
10. मणि, एल. (1989). विवादास्पद परंपराएँः औपनिवेशिक भारत में सती पर बहस। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय प्रेस।
11. रैंडेरिया, एस (2003)। लिंग, नागरिकता और भारत में आधुनिक राज्य का निर्माण। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 38(35), 3733–3741।
12. रॉय, के. (1999)। भारतीय महिलाओं में नारीवादी चेतना का उदय। महिला इतिहास का जर्नल, 11(4), 125–142।
13. सरकार, टी. (2008). भारतीय इतिहास में विद्रोही महिलाएंः अनसुनी आवाजें।
14. सेठ, एस (2013)। धरती की बेटियांः उत्तर प्रदेश में महिलाएं और जमीन। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.
15. सिन्हा, एम. (2003). औपनिवेशिक मर्दानगीः उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में 'मर्दाना अंग्रेज' और 'स्त्री बंगाली'। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी प्रेस।

*****